

सं.-19015/1/2025-26-पा/केहिंप्रसं/2147 से 3146

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

2-ए, पृथ्वीराज रोड,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 09/05/2025

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी) निदेशक/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध/अधीनस्थ कार्यालय, विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

**विषय:** केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा संचालित हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा

प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 36वाँ सत्र (01 जुलाई, 2025 से 31 मई, 2026 तक)

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि पत्राचार माध्यम से हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का 36वाँ सत्र जुलाई-2025 से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए-

| प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सत्र   | उद्देश्य   | अवधि एवं आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि                           | पात्रता  | प्रोत्साहन   |
|--|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| भाषा पत्राचार के माध्यम से प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का 36वाँ सत्र(01जुलाई-2025 से 31 मई-2026) के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। | ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा उनके उपक्रमों, निगमों, निकायों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। | प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि | जो अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रवैश हेतु पात्र हैं, किंतु जो अपनी तैनाती के स्थानों पर हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाओं के उपलब्ध न होने या किन्हीं अन्य कारणों से अब तक प्रशिक्षित नहीं किए जा सके हैं। पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट-1 देखें। | केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के दिनांक 15.05.1991 के का.जा.सं. 19015/4/91-केहिंप्रसं. 12256 के अनुसार पत्राचार माध्यम से प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने यह परीक्षा निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण की है। अतः निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार भी उन्हें का.जा.सं. 21034/66/2010-रा.भा.(प्र) दिनांक 29.07.2011 के अनुसार देय होंगे। इन पुरस्कारों पर आने वाला व्यय संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। |

## 2. वित्तीय प्रोत्साहन

क. परीक्षाएँ उत्तीर्ण होने पर नकद पुरस्कार

|           | प्राप्तांक का प्रतिशत एवं पुरस्कार की राशि |          |             |
|-----------|--|----------|-------------|
| पाठ्यक्रम | 55% - 60%                                  | 60% -70% | 70% या अधिक |
| प्रबोध    | ₹ 400/-                                    | ₹ 800/-  | ₹ 1600/-    |
| प्रवीण    | ₹ 600/-                                    | ₹ 1200/- | ₹ 1800/-    |
| प्राज्ञ   | ₹ 800/-                                    | ₹ 1600/- | ₹ 2400/-    |

ख. निजी प्रयत्नों से परीक्षाएँ उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त पुरस्कार

| प्रबोध   | प्रवीण   | प्राज्ञ  |
|----------|----------|----------|
| ₹ 1600/- | ₹ 1500/- | ₹ 2400/- |

**टिप्पणी:-** जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय विनिर्धारित प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षार्थियों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ एकमुश्त पुरस्कार भी देने का प्रावधान है।

**वैयक्तिक वेतन:-** केंद्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी भाषा की प्रबोध/ प्रवीण/ प्राज्ञ परीक्षाओं में से जो भी परीक्षा संबंधित प्रशिक्षार्थी के लिए अंतिम परीक्षा के रूप में विनिर्धारित की गई है, उन्हें संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि की वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

**3. प्रवेश-प्रक्रिया:-** पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परिशिष्ट-3 में विनिर्धारित द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेजी) प्रपत्र में विधिवत भरे हुए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों की पात्रता सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश हेतु आवेदन 31 जुलाई, 2025 तक निम्नलिखित पते पर अंग्रेजित करें:

उप निदेशक,

पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंथ (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली. 110011.

email: - [chti1289-dol@nic.in](mailto:chti1289-dol@nic.in), [chti1270@nic.in](mailto:chti1270@nic.in), [chti1153@nic.in](mailto:chti1153@nic.in), [chti1284@nic.in](mailto:chti1284@nic.in)

सभी कार्यालयों/ विभागों के विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि पत्राचार पाठ्यक्रम के 2025-26 सत्र के लिए अपने कार्यालयों से उपरोक्त भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग सराहनीय होगा। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन अंग्रेजित करने से पहले कृपया प्रशिक्षार्थियों की पात्रता की जाँच कर लें।


भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस विषय में अपने सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचित करें।

### संपर्क सूत्र:

| कार्यालय का नाम एवं पता   | सहायक निदेशकों के नाम                  | दूरभाष/मोबाइल नंबर                                   |
|---|--|--|
| उप निदेशक<br>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,<br>भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंथ,<br>2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011. | श्री शम्भु कुमार<br>श्रीमती शोभा कुजूर | 011-23017203(का)<br>मो.-9717909041<br>मो.-9840349234 |


### टिप्पणी:

- प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज की किटे एवं उत्तर-पत्र <http://chti.rajbhasha.gov.in/?9600?21> लिंक से भी प्राप्त की जा सकती हैं।
- इसके अलावा प्रशिक्षार्थी, **मोबाइल ऐप - लीला राजभाषा** की मदद ले सकते हैं, जो अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

  
 (ले. कर्नल रामनाथ शर्मा)  
 निदेशक

### प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/निकाय/उद्यम/संगठन एवं राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।
- भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक का कार्यालय, आई.टी.ओ., नई दिल्ली।
- संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
- कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- भारत का निर्वाचन आयोग, अशोका रोड, नई दिल्ली।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली।
- केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली।
- प्रशासक, सभी संघ शासित क्षेत्र।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
- समस्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष (मेटिंग सूची के अनुसार)।
- संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), कैहिप्रसं, नई दिल्ली।
- सभी उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
- सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
- राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- सेना (मुख्यालय), नौसेना (मुख्यालय) तथा रक्षा प्रशिक्षण केंद्र।
- सीआरपीएफ (मुख्यालय), आईटीबीपी (मुख्यालय), आरएएफ (मुख्यालय) तथा उनके प्रशिक्षण केंद्र।
- निदेशक (कार्यान्वयन), निदेशक (नीति), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सेवा), निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन-11, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली। निदेशक (अनुसंधान) से अनुरोध है कि उपर्युक्त को राजभाषा भारती में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
- निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
- निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
- निदेशक (राजभाषा), डाक भवन, नई दिल्ली।
- महामंत्री, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली।
- सहायक निदेशक(टंकण/आश.) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस अनुदेश के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
- उप निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, अंत्योदय भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 50 अतिरिक्त प्रतियाँ।

  
 (ले. कर्नल रामनाथ शर्मा)  
 निदेशक

भाषा पत्राचार पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी

पात्रता: - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पत्राचार स्कंथ द्वारा संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रम विनिर्धारित हैं। इन तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार है:

| प्रबोध  | प्रवीण  | प्राज्ञ   |
|---|---|---|
| यह पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, लेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी तथा मिजो भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं, जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का जान नहीं है। | यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया तथा उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं, जिन्हें मिडिल स्तर की हिंदी का जान नहीं है। | यह पाठ्यक्रम हाई स्कूल स्तर की हिंदी के समकक्ष है। इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिनका हिंदी का जान मैट्रिक स्तर से कम है, वे प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक जान नहीं है, उन्हें प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है। |

टिप्पणी:आयु सीमा

- उपरोक्त तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा विनिर्धारित नहीं है।

पाठ्यक्रम:

- पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा तीनों जैसे प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है।

पाठ्य सामग्री:

- सभी प्रायोजक अधिकारियों/ नामांकन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय से प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्तरित उत्तर-पत्र (रिस्पोन्स-शीट) नियमित रूप से यथा समय आंतरिक मूल्यांकन के लिए इस संस्थान को डाक द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

परीक्षा शुल्क:

- नामांकन के साथ उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना के पक्ष में देय परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भेजना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत निगमों/स्वायत्त निकायों/कंपनियों/बैंकों/बोर्डों/संगठनों और उपक्रमों/आदि के कर्मियों को निम्नलिखित दरों के साथ परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। अब नामांकन फार्म के साथ परीक्षा शुल्क की ऑनलाइन भुगतान रसीद भेजना अनिवार्य है।

प्रबोध

प्रवीण } ₹ 100/- प्रति प्रशिक्षणार्थी

प्राज्ञ

- परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन द्वारा किया जाना है। (इसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2 पर दी गयी है)। केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। नामांकन प्रपत्र, परीक्षा शुल्क सहित (देय होने पर) दिनांक 31 जुलाई 2025 तक इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा भेजें।

### आंतरिक मूल्यांकन:

- क. आंतरिक मूल्यांकन 100 पूर्णक का होगा। आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने होंगे।
- ख. मई, 2026 की परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन में 35 से कम अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षार्थियों को पूरक परीक्षा के परीक्षार्थी के रूप में नवंबर, 2026 में मौखिक परीक्षा देनी होगी तथा न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में किसी भी प्रकार के सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे-स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण पर्याप्त है।
  - जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्स तथा वर्कशाप एवं प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए केवल प्रवीण तक का प्रशिक्षण पर्याप्त है।
  - जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उन्हें प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
  - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 06 जनवरी, 2010 के का.जा.सं.14034/30/2009-राभा(प्रशि.) के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए उन कार्मिकों को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा एवं हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए, जो वर्ग 'ग' श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं।
  - प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे।
  - ऑनलाइन द्वारा परीक्षा शुल्क के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।
  - प्रायोजक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अधिकारी/ कर्मचारी, पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित परीक्षा में अवश्य उपस्थित हों। प्रायः यह देखा गया है कि पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक संख्या में प्रशिक्षार्थी पंजीकृत होते हैं, लेकिन न तो उनके द्वारा नियमित रूप से अपने उत्तर-पत्र भेजे जाते हैं और न ही परीक्षा में उपस्थित होते हैं। इससे सरकारी धन, समय एवं श्रम का अपव्यय होता है। अतः पुनः यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जो प्रशिक्षार्थी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें, परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों।
  - भरी हुई उत्तर-पुस्तिकाओं को इस कार्यालय को भेजते समय प्रशिक्षार्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे उन पर अपना पंजीकरण संख्या लिखें। आंतरिक मूल्यांकन पास करने के लिए प्रशिक्षार्थी को 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 15 मई, 2026 के बाद भेजी गई उत्तर-पुस्तिकाओं पर विचार या मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

- परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रशिक्षार्थी को प्रथम व द्वितीय प्रश्न-पत्र तथा आंतरिक मूल्यांकन (तृतीय प्रश्न-पत्र) में 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किंतु किसी भी प्रशिक्षार्थी को यदि किसी भी प्रश्न-पत्र की लिखित परीक्षा में 35 से कम अंक प्राप्त हुए हैं तो उसके परिणाम में उसे पूरक (Supplementary) परीक्षार्थी घोषित किया जाएगा तथा उन्हें आगामी सत्र (नवंबर 2026) की परीक्षा में केवल उसी प्रश्न-पत्र की परीक्षा देनी पड़ेगी।
- आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण होने पर उसे केवल मौखिक परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षा वाले प्रशिक्षार्थीयों को परीक्षा शुल्क के रूप में ₹10/- का बैंक डॉफ्ट "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" के नाम भेजना होगा और अपना परीक्षा फॉर्म भी इस कार्यालय को 15 अगस्त, 2026 से पहले भेजना होगा।
- जो प्रशिक्षार्थी मई, 2026 सत्र की परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न-पत्र में नहीं बैठ पाते या अनुत्तीर्ण (फेल) हो जाते हैं, वे हिंदी शिक्षण योजना की मई या नवंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पुनः बैठ सकते हैं। किंतु उस स्थिति में उन्हें प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में उपस्थित होना है तथा उन्हें परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। उनके द्वारा पहले हल किए गए उत्तर-पत्रों में प्राप्त अंकों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी भाषा की प्रबोध/प्रवीण/प्राज परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में सुधार किए गए हैं, जिसकी सूचना उप-निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय के दिनांक 09.05.2016 के पत्र सं.15/2/2016-उ.नि.(परीक्षा)/1022 में दी गई है, जो [www.cti.rajbhasha.gov.in](http://www.cti.rajbhasha.gov.in) पर उपलब्ध है।

### व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी):

- नियमित प्रशिक्षण के अभाव की कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष के दौरान, दो बार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों की अवधि 05 पूर्ण कार्य दिवस (प्रबोध-02 दिन, प्रवीण-02 दिन और प्राज- 01 दिन)। ये कार्यक्रम उन केंद्रों/शहरों में आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त होते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यान की व्यवस्था की जाती है, जिनमें पत्राचार के माध्यम से भेजे गए पाठों का पुनरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, संकाय सदस्यों के द्वारा प्रशिक्षार्थीयों की पाठ्यक्रम से संबंधित व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं पर ध्यान देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं।
- पत्राचार स्कंध एवं क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा इन कार्यक्रमों की तारीख और स्थानों के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षार्थीयों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं।
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों तथा हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थिति को कार्यालयीन इयूटी मानी जाती है और उससे संबंधित जो टी.ए./डी.ए. पर व्यय किया जाता है, उनका वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (PCP) अविष्यं में तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
- सभी वियंग्रक अधिकारियों/नामांकन प्राधिकारियों को अपने कार्यालयों से नामित प्रशिक्षार्थीयों से संबंधित सभी विवरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में अवैधित करना अनिवार्य है।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से प्रशिक्षार्थी ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। (cti-website- online registration- hindi language correspondence)

## ऑनलाइन द्वारा परीक्षा शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया:-

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर निम्नलिखित चरण (स्टैप्स) अपनाते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन द्वारा किया जा सकता है। ऑनलाइन द्वारा भुगतान के बाद, परीक्षा शुल्क राशि की पावती रसीद की फोटो प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय को अग्रेषित करवाना अनिवार्य है।

प्रबोध/प्रवीण/प्राज परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन द्वारा परीक्षा शुल्क के भुगतान के चरण (स्टैप्स)

1. सबसे पहले State Bank of India की वेबसाइट [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) खोलकर State Bank Collect नामक उप शीर्षक पर क्लिक करें।

अथवा

State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने के बाद State Bank Collect नामक उप शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. State Bank Collect पेज पर state Bank Corporate/Institution में All India सेलक्ट करें तत्पश्चात् Type of Corporate/ Institution में Govt. Department सेलक्ट करें एवं Go पर क्लिक करें।

3. Govt. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA पर क्लिक करके SUBMIT करें।

4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme सेलक्ट करें। सेलक्ट करते ही एक प्रारूप (प्रोफॉर्मा) खुल जाएगा। उसमें विवरण भरें और मई,2025 की कोई भी परीक्षा तिथि भरें।

5. प्रोफॉर्मा भरने के पश्चात् SUBMIT करें। SUBMIT करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm करने के बाद Payment करें।

6. Payment के बाद Receipt की फोटो प्रति उप निदेशक, पत्राचार स्कंध एवं उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को अग्रेषित करें।

## NEFT के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया:

उप निदेशक (परीक्षा) [DD (Exam)] के नाम पर चालू खाता (Current Account) संख्या- 35148065018 भारतीय स्टेट बैंक (SBI), केंद्रीय सचिवालय शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में है। इसका IFSC कोड - SBIN0000625 तथा MICR कोड - 110002014 है।

**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE**  
**आषा पत्राचार स्कंध/ CORRESPONDENCE WING**  
**प्रवेश-पत्र / NOMINATION FORM (In Capital Letters)**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | पाठ्यक्रम का नाम<br>Name of the Course (In capital letters)   |   |
| 2.  | आवेदक का नाम (हिंदी व अंग्रेज़ी में)<br>Name of the Applicant (In Hindi & English)  |   |
| 3.  | पिता/पति का नाम (हिंदी व अंग्रेज़ी में)<br>Name of Father/Husband (In Hindi & English)  |   |
| 4.  | पदनाम/ Designation  |   |
| 5.  | आवेदक का ई-मेल आईडी<br>E-mail ID of the Applicant   |   |
| 6.  | आवेदक का मोबाइल नंबर<br>Mobile Number of the Applicant  |   |
| 7.  | मातृभाषा / Mother Tongue  |   |
| 8.  | लिंग/Sex  | स्त्री (Female) /पुरुष (Male)/अन्य (Others) |
| 9.  | शैक्षणिक योग्यता/ Educational Qualifications  |   |
| 10. | किस स्तर/कक्षा तक हिंदी पढ़ी है ?<br>Hindi studied up to which level/std.?  |   |
| 11. | नियंत्रक अधिकारी/नामांकन प्राधिकारी का नाम एवं<br>पदनाम<br>Name and Designation of the controlling<br>officer/ Nominating authority                   |   |
| 12. | नियंत्रक अधिकारी/ नामांकन प्राधिकारी का<br>मोबाइल नंबर व ई-मेल पता<br>Mobile Number and e-mail ID of the<br>controlling officer/ Nominating authority |   |
| 13. | कार्यालय का पूरा पता (हिंदी व अंग्रेज़ी में)<br>Full address of the office (In Hindi & English)   |   |
| 14. | परीक्षा शुल्क की ड्राफ्ट संख्या/ऑनलाइन भुगतान<br>की रसीद संख्या, दिनांक सहित<br>Details of Exam Fee Draft/ Online payment<br>receipt number with date |   |
| 15. | आवेदक का आधार कार्ड नंबर<br>Aadhar Card Number of the Applicant   |   |

स्थान/Place:

तारीख/Date:

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of the Applicant

## नियंत्रक अधिकारी/ नामांकन प्राधिकारी का प्रमाण पत्र

(प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले पात्रता की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... में कार्यरत  
श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम) ..... (पदनाम) को, प्रशिक्षण के  
लिए पात्र पाए जाने पर वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित पत्राचार के  
अंतर्गत प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

Certified that Shri/Smt./Ms..... Working as ..... in ..... is eligible for training  
and is permitted to enrol for Prabodh/Praveen/Pragya course through Correspondence conducted  
by Central Hindi Training Institute for the Year 2025-26

नियंत्रक अधिकारी/ नामांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of the Controlling Officer / Nominating authority

कार्यालय की मोहर सहित नाम एवं पदनाम:

Name and Designation with date and office seal:

ई-मेल/E-mail:

मोबाइल नंबर Mobile No.:

फैक्स नंबर/Fax No.:

स्थान/ Place :

तारीख/ Date:

टिप्पणी : प्रवेश-पत्र दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है।

ई-मेल तथा मोबाइल नंबर के बिना प्रवेश-पत्र अमान्य होगा।

**Note:** It is mandatory to fill the Nomination Form in both the languages.

Without e-mail and mobile number, the Nomination Form will  
be invalid.